116/15 – जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण संख्या 116/2015 1–लाधुराम पुत्र बद्रीराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2–सावित्री पत्नि लाधुराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम शिवप्रकाश पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.12.2017

पत्रावली पेश हुई। आज अपीलार्थीगण उपस्थित नही है। अपीलार्थीगण लाधुराम व सावित्रीदेवी द्वारा दिनांक 12.12.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की गयी थी कि उनके द्वारा प्रस्तुत इस अपील में रेस्पोडेन्ट शिवप्रकाश की दिनांक 08.11.2017 को मृत्यु हो गई है इसलिए वे अपील को आगे नही चलाना चाहते है। इसलिए यह अपील दाखिल दफतर करने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीगण ने यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 07.08.2015 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत भरण पोषण राशि 5000रूपये के स्थान पर 10–10 हजार रूपये भरण पोषण राशि प्रतिमाह स्वीकृत की जावे।

चूंकि अब अपीलार्थीगण के आवेदन पत्र दिनांक 12.12.2017 व मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 07.12.2017 की प्रति के अनुसार रेस्पो0 शिवप्रकाश पुत्र लाधुराम की दिनांक 08.11.2017 को मृत्यु हो चुकी है। इसलिए अपीलार्थीगण अपील पर अब आगे कोई कार्रवाई नही चाहते है और दाखिल दफतर करने की प्रार्थना की है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आदेश की प्रति सहित लौटाया जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थीगण को भी भेजी जावें पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर